

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1573(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 04.10.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 2366 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति, 108, सेक्टर-पी, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश" द्वारा " मौजूदा भवन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र के विस्तार" की परियोजना को, वित्तीय वर्ष 2014-15 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 7.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 30 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, "तुलसी ग्रामोद्योग सेवा समिति, 108, सेक्टर-पी, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश" द्वारा चलाई जा रही "मौजूदा भवन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और प्रशिक्षण केन्द्र के विस्तार" की परियोजना की 7.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं.143 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)